तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 171/2022 **नवल कुमार बनाम राधाकृष्ण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2025	परिवादी नवल कुमार उपस्थित। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री उमाशंकर शर्मा, श्री दिनेश पारीक, श्री जितेन्द्र कुमार ने वकालतनामा पेश किया। वकालतनामा शामिल पत्रावली रहे। अभियुक्त राधाकृष्ण अनुपस्थित। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा उपस्थित। अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा ने अभियुक्त की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे बाद सुनवाई आज के लिये स्वीकार किया जाता है। शामिल पत्रावली रहे। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल प्रजापत उपस्थित आए। उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किये कि वह उक्त प्रकरण में अभियुक्त की ओर से पैरवी नहीं करना चाहता है। अधिवक्ता श्री रामजीलाल प्रजापत ने आदेशिका पर अंकित किया कि वह उक्त प्रकरण में पैरवी नहीं करना चाहता है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र आज की तारीख पेशी में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अधिवक्ता अभियुक्त श्री राजकुमार वर्मा द्वारा मौखिक रूप से कथन किया कि वह उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र को पत्रावली के अभिलेख पर रख लिया जावे ताकि भविष्य में आवश्यकता हो तो उसके अनुसार कदम उठाया जा सके। सुना गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिवक्ता अभियुक्त ने पत्रावली में न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मुख्यतः प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय व पीठासीन अधिकारी की कार्य प्रणाली पर आक्षेप लगाए गए हैं एवं यह भी कथन किये गये हैं कि दिनांक 30.09.2025 को हुए घटनाक्रम की मौखिक जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के उच्चाधिकारियों व माननीय जिला न्यायाधीश को दी चुकी है तथा व्यक्तिगत तौर पर पीठासीन अधिकारी की लिखित शिकायत करने के पक्ष में नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से पत्रावली में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं लगाए गए आक्षेप पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त श्री राजकुमार वर्मा द्वारा आज दिनांक 13.10.2025 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल	

13.10.2025
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

पत्रावली कर बी पार्ट किया जाता है।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा ने यह भी कथन किये हैं कि वांछित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति आज ही उपलब्ध करवा दी जावे। सुना गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त प्रतिलिपि शाखा में पृथक् से प्रार्थना पत्र पेश कर नियमानुसार नकल प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है।

अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा द्वारा दिनांक 29.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मय स्क्रीनशॉट व दस्तावेज की प्रति के साथ प्रस्तुत किया गया था। उक्त दिनांक को इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई मूल प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 03.10.2025 हेतु नियत किया गया। दिनांक 03.10.2025 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई मूल प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 13.10.2025 हेतु नियत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मौखिक रूप से कथन किया कि वह उक्त प्रार्थना पत्र पर वह न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र को पत्रावली के अभिलेख पर रख लिया जावे ताकि भविष्य में आवश्यकता हो तो उसकी सत्यप्रति/प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसके अनुसार कदम उठाया जा सके। अधिवक्ता अभियुक्त श्री राजकुमार वर्मा ने यह भी कथन किया कि दिनांक 23.09.2025 को जो घटना क्रम हुआ वह मौखिक रूप से हुआ था। उसको वह प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड पत्रावली पर लाना चाहता है। सुना गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिवक्ता अभियुक्त ने पत्रावली में न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मुख्यतः प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय व पीठासीन अधिकारी की कार्य प्रणाली पर आक्षेप लगाए गए हैं एवं यह भी कथन किये गये हैं कि दिनांक 23.09.2025 को हुए घटना क्रम की आपकी मौखिक शिकायत उसके द्वारा सभी जगह की जा चुकी है तथा वह व्यक्तिगत तौर पर पीठासीन अधिकारी की लिखित शिकायत नहीं करना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से पत्रावली में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं लगाए गए आक्षेप पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त श्री राजकुमार वर्मा द्वारा दिनांक 29.09.2025 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली

13.10.2025

न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. राज.

कर बी पार्ट किया जाता है।

अधिवक्ता परिवादी श्री दिनेश पारीक ने अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.05.2025 का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। परिवादी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि परिवादी द्वारा दिनांक 08.08.2025 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था, उसे दिनांक 07.04.2025 का जवाब समझा जावे।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.04.2025 का निस्तारण दिनांक 23.09.2025 को किया जा चुका है। परिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 27.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। बाद सुनवाई न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी तारीख पेशी पर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर स्वतः बंद कर दिया जाएगा। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 28.10.2025 को पेश हो।

13.10.2025
न्यायिक मजिस्ट्रेट
[illegible] का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)